भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4030
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि यंत्रीकरण के लिए लक्ष्य

4030. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में खेतों में यंत्रों के उपयोग हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश और प्रकाशम जिले में कुल कितना कृषि यंत्रीकरण (किलोवाट/हैक्टेयर) किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए कोई योजना/पहल शुरू की है और यदि हां, तो देश भर में ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा प्रकाशम जिले सहित विशेषकर आंध्र प्रदेश में जिलेवार संख्या कितनी है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कृषि यंत्रीकरण के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और विशेषकर आंध्र प्रदेश का प्रकाशन जिले सहित जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि तंत्र के लाभों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): 'देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास' विषय पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) द्वारा अपनी 58वीं रिपोर्ट में वर्ष 2047 तक 75% मशीनीकरण हासिल करने पर जोर दिया गया है।

(ख): नवंबर 2020 में वोप्कोस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, भारत में औसत कृषि पॉवर उपलब्धता 2.49 किलोवाट प्रति हेक्टेयर थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा मैन पॉवर, एनिमल पॉवर, ट्रैक्टर और इंजन जैसे कृषि पॉवर स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 में कृषि पॉवर की उपलब्धता लगभग 3.126 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है। आईसीएआर के पास राज्यवार/जिलावार ऐसा कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान जिलावार कृषि पॉवर उपलब्धता अनुबंध-I में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ): सरकार का जोर हमेशा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक और उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच को बढ़ाना है जहां कृषि पॉवर

की उपलब्धता कम है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकारों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से केंद्र प्रायोजित 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) कार्यान्वित कर रहा है। एसएमएएम के तहत किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटरों (सीएचसी) और ग्राम स्तरीय कृषि मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना 2018-19 से मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों का समर्थन करने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपेक्षित मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए लागू की गई है। सरकार ने कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को ड्रोन किराये की सेवाएं प्रदान करने हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 15,000 ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है।

एसएमएएम की स्थापना के बाद से दिनांक 28.02.2025 तक विभिन्न राज्यों को 8110.24 करोड़ रुपये के फंड जारी किए जा चुके हैं। राज्यों ने व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर किसानों को 19.51 लाख से अधिक मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति की है और विभिन्न राज्यों में 52,000 से अधिक सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी स्थापित किए गए हैं। सीआरएम योजना के तहत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान (28.02.2025 तक) 3607.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्यों ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 41,900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए हैं और राज्यों में इन सीएचसी एवं व्यक्तिगत किसानों को 3.23 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** और **III** में हैं। निधियों का जिलावार आवंटन और लाभार्थी की पहचान राज्य स्तर पर की जाती है और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार; पिछले पांच वर्षों का आंध्र प्रदेश राज्य का जिलावार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ड.): कृषि उपकरणों और मशीनरी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी ऑन एफआईएम) के तहत आईसीएआर नई कृषि मशीनरी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन (एफएलडी) गतिविधियों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, 520 मशीनों का प्रदर्शन किया गया है जिससे 33220 किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि मशीनरी और उपकरणों के फ्रेंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान 73223 ऐसे प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं और 3.69 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। डीएएंडएफडब्ल्यू ने फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों (एफएमटीटीआई) के माध्यम से किसानों के खेतों पर मशीनों का प्रदर्शन भी किया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान एफएमटीटीआई द्वारा 2156 प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। एफएमटीटीआई द्वारा अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि मशीनीकरण के लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है और पिछले 5 वर्षों के दौरान एफएमटीटीआई द्वारा 70119 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आईसीएआर ने 19 कृषि प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी के माध्यम से 10 लाख से अधिक किसानों, निर्माताओं, आगंतुकों के समक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है।

अनुबंध-I

आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान जिलावार कृषि पॉवर उपलब्धता (किलोवाट/हेक्टेयर)

क्र.सं.	जिले का नाम	कृषि पॉवर उपलब्धता (किलोवाट/हेक्टेयर)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अनकापल्ली	1.992	2.053	2.112	2.17	2.361
2.	अल्लूरी सीता रामाराजू	1.051	1.086	1.113	1.248	1.36
3.	अनंतपुरम	0.918	0.94	0.961	1.143	1.246
4.	अन्नमय्या	1.621	1.673	1.72	1.868	2.028
5.	बापतला	1.908	1.957	2.015	2.068	2.244
6.	चित्तूर	2.366	2.398	2.411	2.443	2.633
7.	डॉ बी आर कोनसीमा	1.20	1.232	1.266	1.401	1.522
8.	ईस्टगोदावरी	2.24	2.307	2.376	2.438	2.651
9.	एलुरु	2.28	2.347	2.41	2.448	2.652
10.	गुंटूर	2.059	2.107	2.149	2.262	2.456
11.	काकीनाडा	2.247	2.291	2.328	2.382	2.592
12.	कृष्णा	1.992	2.053	2.11	2.17	2.358
13.	कुरनूल	1.175	1.206	1.242	1.274	1.499
14.	नांदयाल	1.147	1.173	1.208	1.34	1.461
15.	एनटीआर	1.982	2.045	2.101	2.161	2.351
16.	पलनाडु	1.818	1.869	1.925	1.975	2.148
17.	पार्वतीपुरम मान्यम	1.551	1.597	1.641	1.788	1.942
18.	प्रकाशम	1.633	1.684	1.731	1.879	2.041
19.	एसपीएस नेल्लोर	2.637	2.705	2.787	2.859	3.012
20.	श्री सत्य साईं	1.032	1.067	1.092	1.127	1.238
21.	श्रीकाकुलम	1.571	1.619	1.661	1.711	1.865
22.	तिरुपति	2.283	2.314	2.349	2.382	2.576
23.	विजयनगरम	1.551	1.597	2.242	2.31	2.512
24.	विशाखापत्तनम	1.692	1.743	1.793	1.841	2.002
25.	वेस्टगोदावरी	2.272	2.34	2.401	2.463	2.673
26.	वाईएसआर कडपा	1.634	1.684	1.733	1.779	1.964
	आंध्र प्रदेश राज्य	**1.785**	**1.834**	**1.879**	**1.958**	**2.130**

अनुबंध-II

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक (28.02.2025 तक) एसएमएएम के अंतर्गत जारी फंड, वितरित मशीनों और स्थापित सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी का राज्यवार विवरण

राज्य	जारी फंड (करोड़ रुपये में)	वितरित कृषि मशीनरी की संख्या	स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर/हाई-टेक हब/फार्म मशीनरी बैंकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	859.71	251514	10956
अरुणाचल प्रदेश	65.87	40824	13
असम	153.09	3163	787
बिहार	157.23	39535	2005
छत्तीसगढ	358.57	102736	2978
गुजरात	92.73	29733	247
हरियाणा	266.54	24870	2313
हिमाचल	180.81	43637	53
जम्मू और कश्मीर	76.71	19822	387
झारखंड	33.95	0	527
कर्नाटक	1098.86	306785	790
केरल	298.1	118105	1687
मध्य प्रदेश	511.85	279300	1778
महाराष्ट्र	602.93	103525	1430
मणिपुर	121.14	20283	820
मेघालय	25.19	2457	8
मिजोरम	47.27	5730	339
नागालैंड	238.47	21373	609
ओडिशा	384.99	81831	1778
पंजाब	109.18	13648	1267
राजस्थान	143.91	32793	1854
सिक्किम	57.63	7128	52
तमिलनाडु	803.92	80758	4153
तेलंगाना	55.67	28954	195
त्रिपुरा	205.7	54915	727
उत्तर प्रदेश	701.56	182346	11591
उत्तराखंड	342.75	42294	2400
पश्चिम बंगाल	101.79	10997	774
दादर एवं नागर हवेली	1.10	89	0
पुदुचेरी	11.99	621	13
लद्दाख	1.03	1314	0
कुल	**8110.24**	**1951080**	**52531**

अनुबंध-III

वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक (28.02.2025 तक) सीआरएम योजना के अंतर्गत जारी फंड, वितरित मशीनों तथा स्थापित सीएचसी/एफएमबी का राज्यवार विवरण

राज्य	**जारी फंड (करोड़ रुपए में)**	**वितरित फसल अवशेष मशीनरी की संख्या**	**स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों/फार्म मशीनरी बैंकों की संख्या**
हरियाणा	1081.71	1,00,882	6775
पंजाब	1756.45	1,47,668	25917
उत्तर प्रदेश	763.67	74,548	9276
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6.05	247	0
कुल	**3607.88**	**3,23,345**	**41,968**

अनुबंध- IV

आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि मशीनीकरण के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान जिलेवार लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई धनराशि (2019-20 से 2023-24 तक)

क्र. सं.	ज़िला	सीएचसी की संख्या	धनराशि (लाख रुपये)
1	अनकापल्ली	420	971.55
2	अनंतपुरम	454	1529.87
3	अन्नमय्या	399	989.15
4	एएसआर पडेरू	175	291.88
5	बापतला	409	1310.40
6	चित्तूर	491	1150.00
7	ईस्ट गोदावरी	389	1610.46
8	एलुरु	443	1487.67
9	गुंटूर	258	903.27
10	काकीनाडा	454	1558.03
11	कोनासीमा	485	1437.75
12	कृष्णा	408	1475.97
13	कुरनूल	469	1734.04
14	नांदयाल	394	1565.78
15	एनटीआर	292	1183.19
16	पलनाडु	559	1789.85
17	प्रकाशम	611	2046.78
18	पीवीपी मान्यम	294	826.16
19	एसपीएसआर नेल्लोर	644	2300.63
20	श्री सत्य साईं	404	987.71
21	श्रीकाकुलम	688	2618.05
22	तिरुपति	458	1608.60
23	विशाखापत्तनम	50	141.77
24	विजयनगरम	475	1387.07
25	वेस्ट गोदावरी	383	1584.82
26	वाईएसआर कडपा	450	1861.06
	कुल	**10956**	**36351.50**

नोट: 36351.50 लाख रुपये में अतिरिक्त राज्य बजट भी शामिल है।

*****